



2026:AHC:2071

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2267, वर्ष 2025

शिवकांत पांडे

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अशोक कुमार यादव

प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : आज़ाद राय, सी.एस.सी., सूर्य मणि पांडे

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एन. पाठक, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, और प्रतिवादी-गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय की दलीलें सुनी गईं।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

"i. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह राजस्व अभिलेखों में 'आबादी' के रूप में दर्ज गाटा संख्या 629 (क्षेत्रफल 0.1970 हेक्टेयर) पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाए; यह भूमि ग्राम पंचदेवरा, देवकी पांडे, सोरांव, जिला में स्थित है।"

ii. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता के दिनांक 4.8.2025 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

3. इस जनहित याचिका को दायर किए जाने के बाद, निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही पहले ही दर्ज की जा चुकी है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस जनहित याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, तहसील- सोरांव, जिला- प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाता है कि वे U.P. राजस्व

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत, वाद संख्या T202502030315853 (गाँव सभा बनाम रामबोध) और वाद संख्या T202502030315852 (गाँव सभा बनाम राम कुशन) का निर्णय, पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार और शीघ्रता से करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

6 जनवरी 2026

रमीज़

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"